न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 01 /अपील/19

चूनाबाई पत्नि नाथुलाल पुत्री मीराबाई पुत्री मेघा जाति बंजारा नि0 ग्राम वृन्दावन हाल मुकाम कलमण्डी खुर्द तहसील झालरापाटन

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार झालरापाटन दिनांक 13.06.1994 नामान्तरकरण संख्या 109

....

.22/1/19 अभिभाषक श्री शेलेन्द्र कुमार पोसवाल द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 13.06.1994 जिसके द्वारा ग्राम वृन्दावन स्थित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 109 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होने पर प्रस्तुत की गई है। अपील मेंमां में अंकन किया गया है कि आराजी पूर्व में अपीलान्ट की माता मीराबाई बेवा मेघा जाति बंजारा नि0 वृन्दावन के नाम दर्ज थी अपीलान्ट की माता के फोत होने के बाद फोती इन्तकाल 109 दिनांक 13.06.1994 को तस्दीक किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम चूनाबाई के बजाय बच्चाबाई कर दिया गया। नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नही की गई है। प्रस्तुत प्रकरण नाम शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अपील अपीलान्ट को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़